उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-112/2019/1627/92-2-2019-51एम/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 21 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यो को मानक के अनुसार न कराये जाने, उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त निर्माण कार्यो में परिलक्षित कमियों का निराकरण कराये बिना भुगतान कर शासन को शासकीय क्षति पहुँचाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री जव्वार हुसैन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-मेरठ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-112/2019/1627(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-525 ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/व्य0प0/पत्रा0-261/2019-20 दिनांक 23-07-2019 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री जव्वार हुसैन के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-मेरठ।

4- श्री जव्वार हुसैन, अधि0 अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-मेरठ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in